

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान-जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-352) अलेसे-1/

दिनांक:- 7-10-14

कार्यालय आदेश

श्री बीरबल राम पूनिया पुत्र श्री भोमाराम पूनिया, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय-
राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, नागौर का दिनांक 24.09.2014 को निधन हो जाने के
कारण उन्हें दिनांक 24.09.2014 को मध्याह्न पश्चात् से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री बीरबल राम पूनिया, सहायक
लेखाधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम- 1958
के तहत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

श्री पूनिया की प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहते हुए ही मृत्यु हो जाने के कारण इनके
समस्त पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु कोषाधिकारी बीकानेर को अधिकृत किया जाता है।



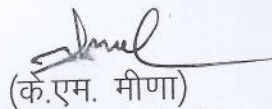
(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-352) अलेसे-1/ 4397-4402 दिनांक:- 7-10-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्व० श्री बीरबल राम पूनिया, सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका / अंतिम वेतन भुगतान इत्यादि कोषाधिकारी बीकानेर को भिजवावें।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बीकानेर/ अजमेर।
3. कोषाधिकारी बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि स्व० श्री बीरबल राम पूनिया, सहायक लेखाधिकारी का पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें तथा इनके समस्त भुगतान की कार्यवाही करने का श्रम करें।
4. डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, नागौर।
5. श्रीमती पत्नी स्व० श्री बीरबल राम पूनिया, सहायक लेखाधिकारी, आजाद नगर सागर रोड़ बीकानेर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य को राजकीय सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलवाना चाहती हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन अविलम्ब भिजवावें।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।


(क.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)